—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 59/2015

उनवान

1. मौजम अली पुत्र सैयद इश्तकार अली जाति मुसलमान निवासी ग्राम झडवासा, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. साबूदीन पुत्र पीरू,
2. चांद मौहम्मद, (फौत जरिये वारिसान)
2/1. अब्दुल सत्तार पुत्र चांद मौहम्द
2/2. रूखसाना पत्नी सद्दीक पुत्र चांद मोहम्मद
2/3. आमीन पुत्र सद्दीक पुत्र चांद मोहम्मद
2/4. खुशबु पुत्री सद्दीक पुत्र चांद मोहम्मद
2/5. फिजा पुत्री सद्दीक पुत्र चांद मोहम्मद
2/6. सम्मा पुत्री चांद मोहम्मद
3. छोटू खां पुत्र सुल्तान खां, (फौत जरिये वारिसान)
3/1. शकूर पुत्र छोटू खां
3/2. कालू पुत्र छोटू खां
3/3. अलादीन पुत्र छोटू खां
3/4. सुन्दरी पत्नी छोटू खां
3/5. शीला पुत्री छोटू खां
3/6. मुन्नी पुत्र छोटू खां
3/7. मुमताज पुत्री छोटू खां
3/8. मुस्कान पुत्री छोटू खां
3/9. बानो पुत्री छोटू खां
4. खातुन पत्नी इस्माईल खां,
5. शेर मौहम्मद, (फौत जरिये वारिसान)
5/1 मोसिन
5/2. आदील
5/3. आारीफ ना.बा. पि. शेर मोहम्मद जरियें संरक्षक माता खातुन
5/4. खातुन पत्नी शेर मोहम्मद
6. पप्पू
7. इकबाल पुत्र ईस्माईल खां, समसत जाति मुयलमान निवासी ग्राम झडवासा, नसीराबाद
8. मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक शाखा नसीराबाद,
9. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
10. उप पंजीयक नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:19:23 IST
Reason: SelfAttested

—— अप्रार्थीगण ... जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
... जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन
... जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: आदेश :–   दिनांक :– 27.5.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा में प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
776	5–16–0	1078 मिन	0–19–0	1511	0.40
		1094	1–16–0		
		1095	1–16–0		
		1093	0–13–0	1530 1531	0.22 0.09
		1096	0–6–0	1532 1533	0.08 0.09
		1092 मिन	0–6–0	1528	0.16
777	4–1–0	1092 मिन	0–5–0		
		1078 मिन	1–10–0	1511	0.40
		1079	1–15–0	1512	0.32
		1088	0–11–0	1527	0.24

उपरोक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 776 व 777 खतौनी जमाबंदी सवंत 2023 से 2026 में खातेदार सैयद इश्तकार अली पुत्र नीर मुहम्मद अली के नाम खातेदारी दर्ज है। सैयद इश्तकार अली आराजी मुतनाजा पर काबिज चला आ रहा है। सैयद इश्तकार अली की मृत्यु के बाद आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी व हाल जमाबंदी में बतौर वारिस प्रार्थी मौजम अली के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नाम गलत दर्ज कर दी। राजस्व अभिलेख में भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे हे तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चौसाला जमाबंदी सवंत 2023 से 2026 की खतौनी संख्या 280 के अनुसार आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 776 व 777 सयैद मुरजद अली के नाम थी। विवादित भूमि से प्रार्थी का कोई सरोकार नही है। आराजी मुतनाजा पर जवाबकर्ता का भौतिक कब्जा चला आ रहा है, जो कि खसरा गिरदावरी व राजस्व अभिलेख से भी प्रमाणित हैं। इस कारण धारा 125 राजसथान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार जमाबंदी जो कि सवंत 2027 में भू प्रबन्ध विभाग अजमेर के द्वारा सर्वे कर तैयार की गयी, में इन्द्राज दुरूस्ती की गयी। आराजी मुतनाजा प्रार्थी को जरियें विरासत प्राप्त हुयी है। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 7 ही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण विचारण के दौरान अप्रार्थी [illegible] की मृत्यु होने के कारण उनके वारिसान को अभिलेख पर लि[illegible] में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अ[illegible]क्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:19:23 IST
Reason: SelfAttested

——3

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

प्रार्थी का कथन हे कि आराजी चौसाला खसरा नम्बर 776 व 777 खतौनी जमाबंदी सवंत 2023 से 2026 में खातेदार सैयद इश्तकार अली पुत्र नीर मुहम्मद अली के नाम खातेदारी दर्ज है। सैयद इश्तकार अली आराजी मुतनाजा पर काबिज चला आ रहा है। सैयद इश्तकार अली की मृत्यु के बाद आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी व हाल जमाबंदी में बतौर वारिस प्रार्थी मौजम अली के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नाम गलत दर्ज कर दी। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर विदन किया कि चौसाला जमाबंदी सवंत 2023 से 2026 की खतौनी संख्या 280 के अनुसार आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 776 व 777 सयैद मुरजद अली के नाम थी। आराजी मुतनाजा पर जवाबकर्ता का भौतिक कब्जा चला आ रहा है, जो कि खसरा गिरदावरी व राजस्व अभिलेख से भी प्रमाणित हैं। इस कारण धारा 125 राजसथान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार जमाबंदी जो कि सवंत 2027 में भू प्रबन्ध विभाग अजमेर के द्वारा सर्वे कर तैयार की गयी, में इन्द्राज दुरूस्ती की गयी। आराजी मुतनाजा प्रार्थी को जरियें विरासत प्राप्त हुयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का विस्तृत विवेचन मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही किया जायेगा। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 7 ही है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खतौनी जमाबंदी सवंत 2023 से 2026 के आधार पर पेश किया हैं। अप्रार्थीगण लगभग 55 वर्ष से राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। इतने वर्षो में उनके द्वारा आराजी मुतनाजा का अन्यत्र हसतांतरण नही किया गया है। राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार को बिना विषम परिस्थितियों पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी प्रकरण में विशेष पारिस्थितियॉ सिद्व करने में असफल रहा हैं। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी से अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान इन्द्राज के त्रुटिपूर्ण अथवा विधिक होने का निर्धारण मूल वादमें साक्ष्य आदि से ही होगा। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम झडवासा की उक्त आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:19:23 IST
Reason: SelfAttested